फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

राजेन्द्र कुमार बनाम देवीलाल वगैरह

किस्म मुकदमा:-212 व 212(2) आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:-128/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/02/20	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता भजनलाल पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल के नाम चक 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 11/17 के प0नं0 55/278(23) के कि0नं0 1 ता 21/5.237 है0 नहरी भूमि में से 4/5 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा यानि 1.047 है0 नहरी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता भजनलाल के पिता भजनलाल दिनांक 01.07.2017 को अप्रार्थीगण की माता रूकमादेवी दिनांक 10.01.1987 को फौत हो चुकी है। प्रार्थी के पिता के रकबा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 यानि प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थी के पिता भजनलाल की मृत्यु के उपरान्त वादी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने हिस्सा यानि 0.785 हैक्टर भूमि छोटा भाई होने के नाते हिस्सा काश्त पर दी हुई थी। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 जैरप्रकरण भूमि पर जबरन काबिज हो गया जो की गैरकानूनी है। प्रार्थी व अप्रार्थी 2 व 3 अपने पिता भजनलाल के नाम दर्ज 1.047 है0 नहरी भूमि में 3/4 हिस्सा यानि 0.785 है0 भूमि के अधिकारी है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 गैरकानूनी रूप से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हो रखा है व नाजायज रूप से फसल उठा रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कैश सिक्योरिटी कायम की जावे व जैरप्रकरण रकबा की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। वकील अप्रार्थी-1 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी के पिता भजनलाल व माता रूकमादेवी का देहांत हो चुका है। रूकमादेवी अप्रार्थी की माता थी। भजनलाल की दो शादीयां हुई थी पहली पत्नि रूकमा का देहांत हो गया व दूसरी पत्नी नाथीदेवी जो कि अप्रार्थी 2 की मामा है व जीवित है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी भजनलाल का पुत्र नही है साधुराम का पुत्र है इसलिये भजनलाल की भूमि में उसका कोई हिस्सा नही बनता है जबकि अप्रार्थी 1 ता 3व अप्रार्थी संख्या 2 की माता नाथीदेवी का बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थी साधूराम का पुत्र है। इसलिये उसका कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इसलिये प्रार्थना पत्र व एकतरफा स्थगन निरस्त किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण का जैर प्रकरण रकबा में 2/4 हिस्सा पर ठेकाराशि दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070-73 अनुसार भजनलाल पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल के नाम चक 7 डीबीएन के खाता संख्या 11/17 के प0नं0 55/278(23) के कि0नं0 1 ता 21/5.237 है0 नहरी भूमि में से 4/5 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा यानि 1.047 है0 नहरी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त रकबा भजनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में विवाद भजनलाल के वारिस साबित करने के सम्बन्ध में जो कि दावा में जवाबदावा प्रस्तुत होने पर तनकी बनाये जाने के उपरान्त बयान/साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत होने के पश्चात् ही तय हो पायेगें। प्रार्थी द्वारा जो वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी प्रथम पंक्ति में अंकित है कि" प्रार्थी राजेन्द्रकुमार पुत्र भजनलाल के हल्फबामा के आधार पर प्रमाणित किया....." इसलिये उक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र भी सही माना जाना न्याय की दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। इसलिये प्राथमिक रूप से मामला साबित नही होता है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है व दिनांक 12.07.2018 को जारी अंतरिम टी0आई0 भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:51:00 IST
Reason: SelfAttested